प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28/10/14 पारित द्वारा श्री [illegible] प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक R-2138-III/14 । विरूद्ध आदेश दिनांक 20/09/[illegible]3 पारित द्वारा नायब तहसीलदार खुजनेर तहसील व जिला- राजगढ । प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2006-07 ।

=====X=====

R-2138-III/14

देवीलाल आ0 श्री राजाराम
निवासी खुजनेर तहसील एव जिला
जिला राजगढ म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1. मोतीलाल आ0 श्री प्रेमनारायण
2. पूनमचन्द आ0 श्री प्रेमनारायण
3. ग्यारसी राम आ0 श्री दौलतराम
4. कन्हैयालाल आ0 श्री दौलतराम

निवासीगण खुजनेर तहसील एव जिला
जिला राजगढ म0प्र0 ..... अनावेदकगण

... संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

28.10.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश द्वारा नायब तहसीलदार ने एस.डी.ओ. के आदेश के पालन में रिकार्ड दुरस्त करने के निर्देश दिए हैं साथ ही राजस्व निरीक्षक को खाते के वारिसानों का प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया है । स्पष्ट है कि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य